

# दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
बुधवार, 11 सितम्बर, 2003 / भाद्रपद 21, 1924 (शक)

संख्या: 271

## सदस्य की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित थानाध्यक्ष, तिलक मार्ग, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको सरागमान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शोएब इकबाल को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 09/09/2003 को अपराह्न 12.50 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़र बन्द किया गया।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उसी दिन अर्थात् दिनांक 09/09/2003 को अपराह्न 1.30 बजे रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव  
सचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)  
Wednesday, 11<sup>th</sup> September, 2003/ Bhadrapada 21, 1924(Saka)

No.: 271

### DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from S.H.O., Tilak Marg, New Delhi: -

"I have the honour to inform you that Shri Shoab Iqbal, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his supporters was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 12.50 PM on 09/09/2003.

He alongwith his supporters was released at 1.30 PM on the same day i.e. 09/09/2003."

SIDDHARTH RAO  
SECRETARY